



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ३१ (२)]

गुरुवार, जुलै ९, २०२६/आषाढ १८, शके १९४८

[पृष्ठ ८, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ९ जुलाई, २०२६ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. LXI OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SCHEDULED CAST,
SCHEDULED TRIBES DE-NOTIFIED TRIBES (VIMUKTA JATIS)
NOMADIC TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES AND SPECIAL
BACLWARD CATEGORY (REGULATION OF ISSUANSE AND
VERIFICATION OF CASTE CERTIFICATE) ACT, 2000.

विधानसभा का विधेयक क्र. ६१ सन् २०२६।

महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति)
खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों (जाति प्रमाणपत्र जारी
करने और सत्यापन का विनियमन) अधिनियम, २००० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी
विधेयक।

सन् २००१ का **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
महा. २३। निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जातियां) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े

प्रवर्गों (जाति प्रमाणपत्र जारी करने और सत्यापन का विनियमन) अधिनियम, २००० में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण। १. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों (जाति प्रमाणपत्र जारी करने और सत्यापन का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

सन् २००१ का महा. २३ की धारा २ में संशोधन। २. महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों (जाति प्रमाणपत्र जारी करने और सत्यापन का विनियमन अधिनियम, २००० (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहाँ गया है) की धारा २ के, खंड (घ) के पश्चात्, निम्न खंड निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :—

(घ-१) “जाली जाति प्रमाणपत्र” का तात्पर्य, वह जाति प्रमाणपत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उक्त प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है ;

(घ-२) “जाली वैधता प्रमाणपत्र” का तात्पर्य, वह वैधता प्रमाणपत्र जो संवीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में संवीक्षा समिति द्वारा जारी नहीं किया गया है ;

(घ-३) “जाली जाति प्रमाणपत्र” का तात्पर्य, गलत जानकारी देकर या झुठे बयान दाखिल करके या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया जाति प्रमाणपत्र ;

(घ-४) “जाली वैधता प्रमाणपत्र” का तात्पर्य, गलत जानकारी देकर या झुठे बयान या दस्तावेजों को दाखिल करके या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया वैधता प्रमाणपत्र ;” ।

३. मूल अधिनियम की धारा ४ क अपमार्जित की जाएगी ।

सन् २००१ का महा. २३ की धारा ४ क का अपमार्जन।

सन् २००१ का महा. २३ की धारा ५ में संशोधन। ४. मूल अधिनियम की धारा ५ की, पार्श्व टिप्पणी में, “अपील” शब्द के स्थान में “सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील” शब्द रखे जाएंगे ।

सन् २००१ का महा. २३ में नई धारा ६ क और ६ ख का निवेशन। ५. मूल अधिनियम की धारा ६ पश्चात् निम्न धाराएं निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

(६ क) (१) जहां,—

पूरीक्षण।

(एक) संवीक्षा समिति को किसी विशिष्ट जाति, जनजाति, वर्ग या श्रेणी से संबंधित किसी व्यक्ति के दावे के संबंध में कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्राप्त हुई है ; या

(दो) किसी व्यक्ति के रक्त संबंधियों ने धोखाधड़ी या दुर्व्यपदेशन द्वारा या महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त किया है ; या

(तीन) संवीक्षा समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि, किसी व्यक्ति या उसके रक्त संबंधियों को वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करते समय, संवीक्षा समिति ने महत्त्वपूर्ण तथ्यों, ठोस या

आवश्यक साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है, या अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि की है या उचित जाँच नहीं की है, या इसके लिए कारणों को अभिलिखित नहीं किया है, या विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है,

तो संवीक्षा समिति, स्वतः सज्ञान लेकर किसी भी व्यक्ति या उसके रक्त संबंधियों या ऐसे व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को प्रदान किए गए वैधता प्रमाणपत्र के आदेशों का पूनरीक्षण कर सकेगी :

परंतु, संवीक्षा समिति, पूनरीक्षण में कोई आदेश पारित नहीं करेगी, जब तक कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाए।

(२) संवीक्षा समिति पूनरीक्षण के पश्चात् इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, या तो वैधता प्रमाणपत्र और जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर सकेगी या जब्त कर सकेगी और संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी या शैक्षणिक संस्थान या संबंधित प्राधिकरण को सूचित कर सकेगी।

“६ ख (१) संवीक्षा समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा ६, ६ क या ७ के अधीन ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर, सरकार द्वारा **राजपत्र** में अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

संवीक्षा, समिति के आदेश के विरुद्ध अपील।

(२) अपीलीय प्राधिकारी तीन महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा और अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

(३) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जाएगी।

६. मूल अधिनियम की धारा ७ की,—

सन् २००१ का महा. २३ की धारा ७ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में “प्रमाणपत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था” शब्दों के स्थान में “प्रमाणपत्र जाली या गलत है” शब्द रखे जायेंगे;

(२) उप-धारा (२) अपमार्जित की जाएगी ;

(३) पार्श्व टिप्पणी में “जाली जाति प्रमाणपत्र” शब्दों के पश्चात् “या झूठा जाति प्रमाणपत्र” शब्द जोड़े जायेंगे।

७. मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात् निम्न धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

सन् २००१ का महा. २३ में धारा ७क का निवेशन।

“७क (१) जहाँ संवीक्षा समिति ने यह आदेश पारित किया है कि, जाति प्रमाणपत्र जाली है, तो वह संबंधित सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देगी कि, वह उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी जिसने ऐसा जाली या गलत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है।

(२) सक्षम प्राधिकारी या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जाली जाति प्रमाणपत्र धारक या जाली वैधता प्रमाणपत्र धारक के विरुद्ध संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगा।

(३) संवीक्षा समिति का सदस्य-सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जाली जाति प्रमाणपत्र या जाली वैधता प्रमाणपत्र धारक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगा।

सन् २००१ का
महा. २३ की धारा
९ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ९ के खंड (ड) के पश्चात् निम्न खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

(च) किसी अन्य कार्यालय या अन्य राज्य के प्राधिकरण से किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना ;

(छ) कोई अन्य मामला जैसा निर्धारित किया जा सकेगा।”।

सन् २००१ का
महा. २३ की
धारा १० में
संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा १० की,—

(१) उप-धारा (१) में, “जाली जाति प्रमाणपत्र” शब्द के स्थान में, “फर्जी जाति प्रमाणपत्र या जाली जाति प्रमाणपत्र” शब्द रखे जाएंगे ;

(२) उप-धारा (३) में “झूठा” शब्द के स्थान में “जाली या गलत” शब्द रखे जायेंगे;

(३) उप-धारा (४) में, “जाली जाति प्रमाणपत्र” शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कही वे आए हों, के स्थान में “जाली जाति प्रमाणपत्र या झूठा जाति प्रमाणपत्र” शब्द रखे जाएंगे;

(४) उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

“(५) संवीक्षा समिति द्वारा जाति प्रमाणपत्र रद्द किए जाने और ज़ब्त किए जाने के पश्चात्, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण, सरकार, शैक्षणिक संस्थान, सांविधिक निकाय या एजेंसी, ऐसे व्यक्ति को दिए गए लाभों को वापस लेने के लिए कार्रवाई करेगी,—

(क) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के दिनांक से तीस दिनों के भीतर यदि अपील दायर की जाती है, और इसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाता है ;

(ख) यदि अपील दायर नहीं की जाती है तो, धारा ६ख की, उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अपील अवधि अवसित होने के तीस दिनों के भीतर।”;

(६) पार्श्व टिप्पणी में, “जाली जाति प्रमाणपत्र” शब्दों के पश्चात् “झूठा प्रमाणपत्र” शब्द जोड़े जाएंगे।

सन् २००१ का
महा. २३ की धारा
११ में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ११ की,—

(१) उप-धारा (१) में,—

(एक) खंड (क) के पश्चात्, निम्न खंड निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(क-१) गलत जानकारी देकर या गलत बयान या दस्तावेज दाखिल करके या किसी अन्य धोखाधड़ी के माध्यम से जाली वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करता है; या

(क-२) जाली जाति प्रमाणपत्र या जालि वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है ; या”;

(दो) खंड (ख) में, “झूठा जाति प्रमाणपत्र” शब्दों के स्थान में “जाली जाति प्रमाणपत्र या झूठा जाति-प्रमाणपत्र” शब्द रखे जाएंगे;

(तीन) “दो हजार रुपये परंतु जिसे बीस हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से” शब्दों के स्थान में, “बीस हजार रुपए परंतु जिसे पचास हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से” शब्द रखे जाएंगे;

(२) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(२) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक,—

(क) सक्षम प्राधिकारी या संवीक्षा समिति या इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी या संवीक्षा समिति द्वारा सम्यक् प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत न की जाए ; या

(ख) अपराध गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर :

परंतु, ऐसी पुलिस रिपोर्ट अधिकारी द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित हो, जो धारा ७क के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के लिए अधिकृत है।

(३) यदि सक्षम प्राधिकारी या संवीक्षा समिति द्वारा सम्यक् प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहता है या जानबूझकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करता है, जिसने फर्जी जाति प्रमाणपत्र या गलत जाति प्रमाणपत्र के आधार पर लाभ प्राप्त किया है, तो ऐसा अधिकारी बीस हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके लिए लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा।

सन् २००१
का महा.
२३ की
धारा १२ में
संशोधन।

११ मूल अधिनियम की धारा १२ में,—

सन् १९७४
का २।
सन् २०२३
का ४६।

(१) “अपराधिक प्रक्रिया संहिता १९७३” शब्दों और अंकों के स्थान में “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(२) खंड (ख) में, “धारा २६२ की, उप-धारा (२) को छोड़कर, धारा २६५ दोनों, उक्त संहिता को सम्मिलित करके” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान में, “(उक्त संहिता की धारा २८५ “उसकी उप-धारा (२) छोड़कर) २८६ से २८८ (दोनों समेत)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

सन् २००१
का महा.
२३ की
धारा १३ में
संशोधन।

१२. मूल अधिनियम की धारा १३ की, उप-धारा (१) में, “दो हजार रुपये, परंतु जिसे बीस हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके; या दोनों से” शब्दों के स्थान में “बीस हजार रुपये, परंतु जिसे पचास हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सके, या दोनों से” शब्द रखे जाएंगे।

सन् २००१
का महा.
२३ की
धारा १६ में
संशोधन।

१३. मूल अधिनियम की धारा १६ में “किसी बात के लिए कोई व्यक्ति” शब्दों के स्थान में “किसी बात के संबंध में सक्षम प्राधिकारी या संवीक्षा समिति के कोई सदस्य सदस्य या अपील प्राधिकारी या कोई व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे।

सन् २००१
का महा.
२३ की
धारा १८ में
संशोधन।

१४. मूल अधिनियम की धारा १८ की उप-धारा (१) में, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु, यदि राज्य सरकार की राय में किन्हीं नियमों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए, तो ऐसे नियमों को पूर्व प्रकाशन के बिना बनाया जा सकता है।”।

१५. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, यथासंभव शीघ्र, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो मूल अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, जैसा कि कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

वक्तव्य

महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े प्रवर्ग (जाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन का विनियमन) अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. २३) उसमें उल्लिखित आरक्षित श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने और उसके सत्यापन के विनियमन करने के उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि, जनजातियों या अन्य आरक्षित श्रेणियों से संबंधित आवेदकों के दावे के विरुद्ध बड़ी संख्या में मामलों में प्रतिकूल साक्ष्य पाई गई है, जाति प्रमाणपत्र और वैधता प्रमाणपत्र और उनके रक्तसंबंधियों द्वारा धोखाधड़ी, गलत बयानी या अत्यावश्यक दस्तावेजों को छुपाकर प्राप्त किए गए थे, और इसलिए आरक्षित श्रेणियों के वास्तविक सदस्य ऐसे छद्म या फर्जी दावेदारों के कारण आरक्षण लाभ प्राप्त करने से वंचित है।

३. विद्यमानतः उक्त अधिनियम में संवीक्षा समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील का कोई उपबंध नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की हैं।

४. वैधता प्रमाणपत्र जारी करने में आनेवाली कठिनाइयों की जांच करने और सरकार को सिफारिशें देने के लिए सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री. पी. वी. हरदास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, जिसके द्वारा संवीक्षा समिति ने उक्त अधिनियम और तद्विधन बनाए गए नियमों में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, आरक्षित श्रेणियों के लिए जाति प्रमाणपत्र और वैधता प्रमाणपत्र का लाभ सुरक्षित रहें।

५. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित प्रवर्गों के वास्तविक सदस्यों को वैधता प्रमाणपत्र मिले और छद्म या फर्जी दावेदारों को जाति प्रमाणपत्र और वैधता प्रमाणपत्र तथा आरक्षित प्रवर्गों के लिए बने लाभ प्राप्त करने से रोका जा सके, इसलिए महाराष्ट्र सरकार उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

६. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं यथा निम्न है :—

(क) “जालि जाति प्रमाणपत्र”, “नकली जाति प्रमाणपत्र” और “जालि वैधता प्रमाणपत्र” शब्दों की परिभाषाओं के लिए उपबंध करना ;

(ख) कतिपय मामलों में संवीक्षा समिति द्वारा अपने आदेशों पुनरीक्षण के लिए स्पष्ट उपबंध प्रदान करना;

(ग) संवीक्षा समिति के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करना;

(घ) उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने का उपबंध करना ;।

(ङ) अपराध के लिए जुर्माने में वृद्धि करने के लिए उपबंध करना;

(च) सक्षम प्राधिकारी या संवीक्षा समिति के सदस्य या अपील प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम या नियमों के अनुसरण में विशेष रूप से सद्भावना में किए गए कृत्य के लिए संरक्षण का उपबंध करना।

७. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना।

मुंबई,
दिनांकित ८ जुलाई २०२६।

डॉ. अशोक वुईके,
जनजाति विकास मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधि ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्गस्त हैं, अर्थात्:-

खंड १(२):- इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा वह दिनांक नियत करने की शक्ति दी गई है जिस दिनांक पर यह अधिनियम लागू होगा।

खंड ५:- इस खंड के अधीन, मूल अधिनियम में नई धाराएं ६क, ६ख का निवेशन करना जिसका आशय है, धारा ६ख की प्रस्तावित उप-धारा (१) में, राज्य सरकार को **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट करने की शक्ति दी गई है।

खंड १५:- इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में उद्भूत कोई भी कठिनाई को दूर करने के लिए **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :

मुंबई,

दिनांकित ९ जुलाई, २०२६।

जितेंद्र भोळे,

सचिव - १

महाराष्ट्र विधानसभा।